पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

(41)

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन/प्रबंध बोर्ड/2013–14/7909 दिनांकः– 20.2.17

प्रबंध मण्डल की पंचम बैठक दिनांक 15.02.2017 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.02.2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की पंचम बैठक कुलपति सचिवालय में दोपहर 02:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:–

1.	डॉ. के. बी. गुप्ता	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	श्री बंशीधर खण्डेला	मा. सदस्य (मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार एवं मा. विधायक, खण्डेला)
3.	श्री गोरधन वर्मा	मा. सदस्य (मा. विधायक, धोद)
4.	प्रो. यशपाल सिंह	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
5.	श्री मूल चन्द	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, वित्त (अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर)
6.	प्रो. सी.बी. गेना	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
7.	डॉ. धर्मचंद जैन	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
8.	प्रो. विनय कुमार शर्मा	मा. सदस्य (डीन, वाणिज्य)
9.	डॉ. दिलसुख थालौड़	प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा (प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर)
10.	डॉ. रामस्वरूप जाखड़	मा. सदस्य (प्राचार्य, महर्षि दयानन्द बालिका विज्ञान महाविद्यालय, झुंझुनू)
11.	श्री रामनिवास जाट	वित्त नियंत्रक (विशेष आमंत्रित सदस्य)
12.	डॉ. नरेन्द्र थोरी	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। सदन के समस्त सदस्यों ने श्री बंशीधर खण्डेला को मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार बनने पर शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

क्र. सं.	एजेण्डा बिन्दु	निर्णय
1.	प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 15.07.2016 के कार्यवृत का अनुमोदन	गत बैठक के बिन्दु संख्या 01 में विश्वविद्यालय की सार्वमुद्रा का संशोधित वर्जन प्रस्तुत नहीं होने के कारण इसे

अगली बैठक के लिए डैफर किया गया।

बैठक संख्या के **बिन्दु संख्या 09** पर मा. सदस्य श्री धर्मचन्द जैन ने कहा कि आर्किटेक्ट नियुक्त कर नक्शा बनवा लिया जावे तथा पास की 02 हैक्टेयर जमीन विश्वविद्यालय को आवंटित करवाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे। जिस पर मा. सदस्य श्री बंशीधर खण्डेला ने बताया कि यूआईटी द्वारा कन्सेन्ट दे दी गई है, राज्य सरकार से परश्यू करवा कर उनके द्वारा मा. मंत्री महोदय से बात की जावेगी। साथ ही सदस्यों ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा जिला प्रशासन को अतिरिक्त जमीन आवंटन के लिए पत्र लिखा जावे और राज्य सरकार को भी इसके लिए पत्र भेजकर निवेदन किया जावे।

बिन्दु संख्या 10 पर कुलसचिव महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि शोध निदेशक के पद पर कार्यरत डॉ. जी.एस. कलवानियां सेवानिवृत हो चुके हैं। इस पर मा. सदस्य श्री सी.बी. गैना ने कहा कि शोध निदेशक के पद पर एक्टिव व्यक्ति को लगाया जावे, जिससे कि शोध से संबंधित कार्य सुचारू रूप से हो सके तथा संकाय सदस्यों में से सीनियर मोस्ट सदस्य को लगाया जावे एवं उनका सरकार से डेपुटेशन विश्वविद्यालय में करवाने के लिए पत्र लिखा जावे। तत्पश्चात सदन के सभी सदस्यों द्वारा डॉ. दिलसुख थालौड़, प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर को शोध निदेशक के पद पर कार्य करने की अनुशंषा की गई तथा यह कहा गया कि जब तक अन्य नियुक्ति विश्वविद्यालय में नहीं हो जाती, तब तक वे अपने कार्य के अलावा इस पद का भी सम्पूर्ण कार्य कर विश्वविद्यालय को सहयोग प्रदान करावें।

गत बैठक के **बिन्दु संख्या 13** में मा. सदस्य श्री यशपाल सिंह ने सुझाव दिया कि Director, Physical Education का पद स्वीकृत

		होना चाहिए, जिससे की खेल–कूद गतिविधियों पर और अधिक ध्यान दिया जा सके, इसके लिए सदन ने सहमति व्यक्त की तथा इस संबंध में प्रशासनिक विभाग को पत्र भेजने की अनुशंषा की गई। **बिन्दु संख्या 17** में माननीय सदस्य श्री सी.बी. गैना ने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों का कुलगीत तैयार हो गया है, उनसे संपर्क करके अतिशीघ्र कुलगीत तैयार करवाया जावे, जिस पर सदन ने पूर्णमत से सहमति जताई। **बिन्दु संख्या 19** में महाविद्यालयों एवं निरीक्षकों को दिये जाने वाले प्रोफोर्मा को केवल हिन्दी भाषा में रखे जाने की सदन ने अनुशंषा की। **बिन्दु संख्या 22** पर शैक्षणिक विभाग खुलवाने के संबंध में प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के कहा कि सर्वप्रथम विभागों का निर्धारण विद्या परिषद की बैठक में किया जाकर तत्पश्चात प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जावे एवं प्रबंध मण्डल से अनुमोदन के पश्चात सरकार को भेजा जावे। इन संशोधनों के साथ गत बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	**चारदीवारी निर्माण अग्रिम के समायोजन हेतु प्रस्ताव–** (i.) कटराथल में चारदीवारी, ट्यूबवेल, सड़क निर्माण, मैन गेट एवं काउकेचर तथा वृक्षारोपण के संबंध में मै. राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जयपुर द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र राशि रू. 86.55 लाख के साथ रनिंग बिल दिये गये हैं, उन रनिंग बिलों को तकनीकी अधिकारी पीडब्लयूडी से सत्यापन एवं मूल्यांकन कराने एवं सत्यापन पश्चात दिये गये अग्रिम राशि के समायोजन की स्वीकृति।	(i.) मा. सदस्य श्री बंशीधर खण्डेला ने कहा कि चारदीवारी के गलत निर्माण के लिए कौन जिम्मेवार है, इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए। इस बिन्दु पर मा. सदस्य डॉ. धर्मचन्द जैन ने सुझाव दिया कि तकनीकी सदस्यों की समिति बनवाकर बिन्दु में वर्णित कार्यों का पुनः सत्यापन करवाया जावे तथा अनियमित निर्माण कार्य की राशि का निर्धारण कराया जावे। जिस पर सदन ने सहमति व्यक्त की तथा इस बिन्दु

		को अगली बैठक के लिए डैफर किया गया।
	(ii.) विश्वविद्यालय भवन एवं चारदीवारी के उद्घाटन समारोह पर राविल द्वारा व्यय रू. 169272/– किया गया है, जबकि आचार संहिता लगने के कारण उद्घाटन समारोह नहीं हुआ था। अतः इस व्यय का समायोजन करना है या नहीं, पर निर्णय लिया जाना है।	(ii.) मा. सदस्य श्री सी.बी. गैना ने कहा कि उद्घाटन समारोह पर किये गये व्यय को निरस्त किया जाता है जिस पर सदन के सदस्यों ने सहमति व्यक्त की तथा इस व्यय को निरस्त (reject) किया गया।
	(iii.) विश्वविद्यालय की चारदीवारी का निर्माण राष्ट्रीय रोड़ कांग्रेस के नियमानुसार सड़क के मध्य से 40 मीटर छोड़कर करवाया जाना था, परन्तु 14 मीटर छोड़कर ही निर्माण कार्य करवाया गया है। अतः निर्माण पर हुए व्यय का समायोजन किये जाने के लिए प्रस्ताव माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत है।	(iii.) मा. सदस्य प्रो. सी.बी. गैना, डॉ. धर्मचन्द जैन, श्री यशपाल सिंह ने कहा कि चारदीवारी का निर्माण राष्ट्रीय रोड़ कांग्रेस के नियमों के विरूद्ध किया गया है, अतः इस बिन्दु को भी निरस्त किया जावे तथा साथ ही ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदारी तय की जावे, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।
3.	**वाहन क्रय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव–** माननीय कुलपति महोदय के लिए क्रय किये गये वाहन संख्या RJ23UA7808 पर किये गये व्यय राशि रू. 12.28 लाख का अनुमोदन।	वाहन क्रय पर मा. सदस्य श्री सी.बी. गैना ने सदन को अवगत करवाया कि कुलपति को वाहन क्रय की शक्ति नहीं है तथा राज्य सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति के बिना वाहन की खरीद नहीं की जा सकती है। जिस पर. सदस्यों ने निर्णय लिया कि वाहन का क्रय अनियमित है इसलिए वाहन क्रय की प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्योत्तर स्वीकृति (Ex-Post facto Permission) ली जाने की सर्वसम्मति से अनुशंषा की जाती है तथा स्वीकृति प्राप्त कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
4.	**परीक्षा अतिरिक्त कार्य के लिए मानदेय प्रस्ताव–** परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के कार्मिकों (नियमित/संविदा कर्मियों) को कार्यालय समय पश्चात भी कार्य करना पड़ता है, अतः कार्मिकों (नियमित/संविदा कर्मियों) को अतिरिक्त समय में किये गये कार्यों के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	कार्मिकों को अतिरिक्त समय में किये गये कार्यों के लिए मानदेय भुगतान के संबंध में मा. सदस्य डॉ. दिलसुख थालौड़ ने सदन को अवगत करवाया कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में मानदेय का भुगतान केवल नियमित कार्मिकों को ही किया जाता है, परन्तु इस विश्वविद्यालय में

		अधिकतर कार्मिक संविदा पर कार्यरत हैं। जिस पर सदन ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की दरों पर ही संविदा कार्मिकों को भी कार्यालय समय पश्चात अतिरिक्त कार्य के लिए मानदेय का भुगतान किये जाने की अनुशंषा की गई।
5.	**अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल सुविधा के भुगतान हेतु प्रस्ताव–** विश्वविद्यालय के निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाईल सुविधा के भुगतान हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ– (i.) श्रीमान कुलसचिव – 01 (ii.) वित्त नियंत्रक – 01 (iii.) परीक्षा नियंत्रक – 01 (iv.) उपकुलसचिव – 01 (v.) सहायक कुलसचिव – 02 (vi.) सहायक लेखाधिकारी – 01	मोबाईल सुविधा के संबंध में माननीय सदस्य श्री सी.बी. गैना ने सदन को सुझाव दिया कि वेबसाईट पर इन अधिकारियों के मोबाईल नम्बर अपलोड किये जावे तथा समस्त फोन रिसिव किंये जावें। मोबाईल सुविधा के भुगतान के संबंध में मा. सदस्यों ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की दरें अपनाने की अनुशंषा की।
6.	**अस्थायी भवन मरम्मत एवं अन्य व्यय का कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव–** निम्नलिखित सामग्री क्रय के बिलों का भुगतान किया जा चुका है, जिनका अनुमोदन हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के विचारार्थ प्रस्तुत है– A. विश्वविद्यालय के प्रारम्भ होने के समय बालिका एवं बालक छात्रावास के अस्थाई भवन की मरम्मत, बिजली फिटिंग एवं बोरिंग लगाने पर किये गये व्यय राशि रू. 5.27 लाख का अनुमोदन। B. विश्वविद्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद पर किये गये व्यय राशि रू. 5.03 लाख का अनुमोदन। C. विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर जारी किये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भर्ती विज्ञापन पर व्यय राशि रू0 2.65 लाख का अनुमोदन। D. वाहन मरम्मत, क्रोकरी, स्टेशनरी, डीजल क्रय जिनका भुगतान Paid by me के द्वारा	A. सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। B. सदन ने पूर्ण बहुमत के साथ अनुमोदन किया। C. सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। D. सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया– रू. 148791/– E. मोबाइल सैट क्रय पर व्यय– रू0 49800/–	E. इस पर मा. सदस्य प्रो. सी.बी. गैना ने सदन को अवगत करवाया कि कुलपति फोन की खरीद नहीं कर सकता है। अतः संबंधित व्यक्ति को वसूली के लिए लिखा जावे तथा वसूली होने के पश्चात मोबाईल वापिस कर दिया जावे। जिस पर सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की।
7.	**बकाया बिलों के भुगतान स्वीकृति प्रस्ताव–** निम्नलिखित सामग्री का क्रय किया गया, परन्तु भुगतान नहीं किया गया है, अतः उनके भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव– PBX- 92500/- AC- 163900/- LED- 134000/- Refrigerator- 50869/- Others- 112107/- } 553376/-	बकाया बिलों की जांच के संबंध में संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा, ग्रुप–4 शासन सचिवालय, जयपुर दिनांक 27.07.2016 को जांच कमेटी का गठन किया हुआ है, किन्तु अभी तक जांच नहीं की गयी है। अतः जिला कलक्टर के स्तर पर स्वीकृति हेतु संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा, ग्रुप–4 शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र लिखे जाने हेतु सदस्यों ने सहमति व्यक्त की।
8.	**क्षेत्राधिकार से बाहर की गयी यात्राओं के अनुमोदन प्रस्ताव–** सरकारी वाहन से अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जयपुर की यात्राओं एवं माननीया कुलपति महोदय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर की गई यात्राओं के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।	इस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9.	**सनदी लेखाकार (चार्टेड अकाउंटेट्स) को नियुक्ति हेतु प्रस्ताव–** विश्वविद्यालय द्वारा काटे गए आयकर की त्रैमासिक एवं वार्षिक रिटर्नस समय पर आयकर विभाग को प्रस्तुत करने तथा एफडीआर पर अर्जित ब्याज की राशि पर काटा गया बैंक द्वारा आयकर आदि प्रकरणों की रिटर्नस आयकर विभाग को समय पर प्रस्तुत करने के लिए एवं कानूनी सलाह, विश्वविद्यालय के लेखा का अंकेक्षण हेतु सनदी लेखाकार (चार्टेड अकाउंटेट्स) को नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	टेण्डरिंग प्रोसेस से सनदी लेखाकार को नियुक्त कर लिया जावे तथा तीन वित्तीय वर्षों 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 के लिए सनदी लेखाकार (चार्टेड अकाउंटेट्स) की नियुक्ति करने की अनुशंषा की।

10.	**विभिन्न बैठकों में जलपान एवं देय यात्रा भत्ता मानदेय के क्रम में अनुमोदन प्रस्ताव–** विश्वविद्यालय में होने वाली विभिन्न बैठकों में जलपान पर किये जाना वाले व्यय एवं उपस्थित सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ता मानदेय क्रम में चर्चा करना, इसके मानक तय करना तथा अनुमोदन करना। विश्वविद्यालय में होने वाली विभिन्न बैठकों का विवरण – (i.) Board of Management (BoM) (ii.) Board of Inspection (BoI) (iii.) Board of Studies (BoS) (iv.) Academic Council (v.) Finance Committee (FC) (vi.) Exam Planning and Monitoring Committee (EPMC) उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय में बैठकों का आयोजन होता है, इन बैठकों में उपस्थित होने वाले सदस्यों की जलपान व्यवस्था पर किये जाने वाले खर्च तथा इन्हें देय बैठक भत्ता/यात्रा भत्ता/वाहन किराया आदि का निर्धारण एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय में होने वाली विभिन्न बैठकों में दिये जाने वाले मानदेय के क्रम में सदन के मा. सदस्यों ने सुझाव दिया कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों की पालना की जावे। कई बैठकों के मानदेय भुगतान के स्पष्ट नियमों के अभाव में सदन के सदस्यों ने निर्णय लिया कि जिन बैठकों के सिटिंग चार्जेज तय नहीं है, उनमें विश्वविद्यालय के बाहर के सदस्यों को प्रति बैठक यात्रा व्यय के साथ सिटिंग चार्जेज रू. 500/– दिये जावे तथा जिन बैठकों के सिटिंग चार्जेज राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के स्पष्ट हैं, उनका भुगतान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों के अन्तर्गत किये जावे। विभिन्न बैठकों में जलपान पर किये जाने वाला व्यय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार किया जावे।
11.	**महाविद्यालयों के निरीक्षण में देय यात्रा भत्ता/मानदेय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव–** विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अकादमिक महाविद्यालयों एवं बी.एड. महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाना वांछित है। निरीक्षण दल को दिये जाने वाले यात्रा भत्ता/मानदेय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि एक ही निरीक्षण दल द्वारा एक ही दिन में कई महाविद्यालयों का निरीक्षण करना दिखाया जाकर यात्रा भत्ता एवं मानदेय की मांग की जाती है। इस क्रम में देय यात्रा भत्ता एवं मानदेय का निर्धारण एवं अनुमोदन अपेक्षित है। बिन्दुवार देय यात्रा भत्ता/मानदेय/वाहन किराया का निर्धारण किया जाना वांछित है– (i.) निरीक्षण दल को देय यात्रा व्यय a. स्वयं के वाहन से यात्रा b. किराये के वाहन से यात्रा	माननीय सदस्यों ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमों की पालना करने की अनुशंषा की तथा साथ ही यह निर्णय लिया कि एक दिन में केवल दो महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जावे वो भी इस शर्त पर कि जब दोनों महाविद्यालय एक ही मुख्यालय पर हो या 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर अवस्थित हो।

	(ii.) निरीक्षण दल को देय मानदेय (iii.) एक निरीक्षण दल एक दिन में एक से अधिक महाविद्यालयों का निरीक्षण करने की अधिकतम सीमा।	
12.	**विश्वविद्यालय की निजी आय राष्ट्रीयकृत राजकीय बैंकों में अधिक ब्याज दर के आधार पर सावधि जमा हेतु प्रस्ताव–** विश्वविद्यालय का निजी आय का खाता एसबीबीजे, क्लेक्ट्रेट बैंक में है। विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष परीक्षा आवेदन पत्रों, सम्बद्धता शुल्क एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में एक बड़ी राशि (निजी आय) प्राप्त होती है। गत वर्ष की आय की विभिन्न सावधि जमा (एसबीबीजे बैंक) रू. 27.97 करोड़ है तथा इस वर्ष की अनुमानित आय रू. 40.00 करोड़ होगी। विश्वविद्यालय की अनुपयोगी जमा राशि का विनियोग सावधि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिक ब्याज दर के आधार पर किया जावे या राजकीय लेनदेन के लिए अधिकृत बैंक (एसबीबीजे) में किया जावे। इस बिन्दु पर निर्णय हेतु प्रबंध मण्डल के माननीय सदस्यों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	इस संबंध में माननीय सदस्य श्री सी.बी. गैना एवं श्री मूलचन्द ने सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय की निजी आय उसी राष्ट्रीयकृत राजकीय बैंक में सावधि जमा करवाई जावे जिसकी ब्याज दर अधिकतम हो, ताकि विश्वविद्यालय को वित्तीय लाभ मिले। जिस पर सदन के समस्त माननीय सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की।
13.	कुलपति चयन समिति की बैठकों पर किये गये व्यय का अनुमोदन। कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की दो बार बैठक जयपुर में रखी गयी। चयन समिति के सदस्यों की सहमति एवं निर्देशानुसार इनके जयपुर में ठहरने, आने जाने के व्यय बैठक मानदेय तथा अन्य खर्चों का भुगतान अधिकारियों के निर्देशानुसार किया गया। जिसके अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।	कुलसचिव ने सदन को अवगत करवाया कि कुलपति चयन समिति की बैठक इस विश्वविद्यालय में प्रथम बार हुई थी, जिसके लिए जोधपुर विश्वविद्यालय की दरों के अनुरूप रू. 5000/– मा. सदस्यों को मानदेय भुगतान किया गया। जिस पर प्रबंध मण्डल के मा. सदस्य प्रो. सी.बी. गैना ने कहा कि प्रबंध मण्डल के सदस्यों से ज्यादा भुगतान नहीं किया जा सकता। चूंकि नियमों के अभाव में यह भुगतान किया गया है, अतः सदन ने इस मानदेय भुगतान का अनुमोदन किया तथा साथ ही भविष्य में कुलपति चयन समिति के सदस्यों को प्रबंध मण्डल के सदस्यों के बराबर ही रू. 2000/– मानदेय भुगतान देने का निर्णय लिया। कुलपति चयन समिति की बैठकों पर किये गये समस्त व्यय का सर्वसम्मति से

		अनुमोदन किया गया।
14.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अनुरूप परीक्षा संबंधित कार्यों के लिए भुगतान की विभिन्न दरों का अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
15.	परीक्षा संबंधित कार्य के लिए निजी आय से गाड़ी के उपयोग की अनुमति पर चर्चा व निर्णय।	परीक्षा कार्य के लिए पृथक से गाड़ी किराये पर ली जावे तथा उसका भुगतान विश्वविद्यालय की निजी आय से किये जाने का निर्णय लिया गया।
16.	उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु सेवानिवृत व्याख्याताओं को कॉर्डिनेटर नियुक्त करने का निर्णय व अनुमोदन।	उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु व्यक्ति विशेष को कॉर्डिनेडर बनाने के संबंध में माननीय सदस्य डॉ. दिलसुख थालौड़ ने सुझाव दिया कि क्षेत्राधिकार के बाहर केवल सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं सेवानिवृत प्राचार्य को कॉर्डिनेडर बनाया जावे, जिस पर सदन ने पूर्णरूप से सहमति व्यक्त की। भविष्य में इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए कुलपति को अधिकृत करने की अनुशंषा भी की गई।
17.	विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन एवं आंशिक/पूर्ण बदलाव करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने पर चर्चा एवं निर्णय।	इस बिन्दु पर माननीय सदस्य डॉ. धर्मचन्द जैन एवं प्रो. यशपाल सिंह ने सदन को अवगत करवाया कि पाठ्यक्रम में संशोधन एवं आंशिक/पूर्ण बदलाव करने का समस्त अधिकार विद्या परिषद् के पास है। प्रबंध मण्डल अनुमोदन कर सकता है या फिर reconsideration के लिए कह सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं कर सकता। अतः यह बिन्दु विद्या परिषद् से अनुमोदन करवाकर प्रबंध मण्डल में प्रस्तुत किया जावे। इसलिए इस बिन्दु को अगली बैठक के लिए डैफर किया गया।
18.	परीक्षा संबंधित कार्यों के लिए परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि भिजवाने व परीक्षा केन्द्र से ही प्रायोगिक परीक्षाओं के पारिश्रमिक व अन्य भुगतान का अनुमोदन।	परीक्षा संबंधित कार्यों के लिए परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि Strength के अनुसार दी जाने की अनुशंषा की गई।

19.	विश्वविद्यालय को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सीडीसी (कॉलेज डवलपमेन्ट कॉन्सिल) से जोड़ने हेतु, जब तक स्वयं का सीडीसी (कॉलेज डवलपमेन्ट कॉसिंल) गठित नहीं हो, पर चर्चा व अनुमोदन।	इस पर माननीय सदस्य श्री सी.बी. गेना ने सदन को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में सीडीसी (कॉलेज डवलपमेन्ट कॉसिंल) गठन के लिए कम से कम 05 विभाग होने चाहिए। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों के अभाव में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सीडीसी (कॉलेज डवलपमेन्ट कॉन्सिल) से जोड़ने कीं अनुशंषा की। प्रबंध मण्डल के निर्णयानुसार राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को पत्र लिखा जावे।
20.	विश्वविद्यालय में महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक, उपस्थिति के 5 अंक तथा कुल 25 अंक जोड़ने पर चर्चा, निर्णय व अनुमोदन।	समस्त सदस्यों ने इस बिन्दु को रिजेक्ट किये जाने की अनुशंषा की।
21.	निजी भवन को विश्वविद्यालय के सैलर भवन के रूप में उपयोग में लेने पर चर्चा व निर्णय।	सैलर भवन के संबंध में सदस्यों ने निर्णय लिया कि अगर सरकारी विद्यालय का बड़ा भवन मिलता है, तो उसे सैलर के रूप में काम में लिया जावे। सरकारी विद्यालय नहीं मिलने की स्थिति में निजी सुरक्षित भवन न्यूनतम किराये पर लेकर उसे सैलर के रूप में काम में लिये जाने का निर्णय लिया।
22.	UGC के निर्देशानुसार National Academic Depository (NAD) Cell व उसका Nodal Officer बनाकर विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सभी Mark Sheets, Degrees, Certificates आदि को Digital Format में सुरक्षित करने व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने हेतु संलग्नानुसार NDML या CVL से Service Level Agreement करने हेतु।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
23.	विश्वविद्यालय द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता देने के लिए नियमावली में बदलाव हेतु।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
24.	इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जिला सीकर एवं झुन्झुनू में अवस्थित बी0एड0 महाविद्यालयों को सत्र 2016–17 की अस्थाई संबद्धता हेतु प्रबंध मण्डल की बैठक 15.07.2016 के बिन्दु संख्या 6 के निर्णयानुसार स्टॉफ के	माननीय सदस्य डॉ. डी.सी. जैन ने कहा कि प्रबंध मण्डल और विश्वविद्यालय के निर्णयों की अवहेलना कर बी.एड. महाविद्यालयों ने अराजकता फैला रखी है। माननीय सदस्य श्री बंशीधर खण्डेला ने कहा कि "एक बार

	मूल दस्तावेज जमा करवाने पर अस्थाई संबद्धता आदेश जारी किये जाकर मूल दस्तावेज जमा करवाने हेतु टीमों को गठन किया गया था। लेकिन किसी भी महाविद्यालय ने स्टॉफ के मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाये तथा सत्र 2016–17 का निरीक्षण करवाये जाने हेतु निरीक्षण दलों का गठन किये जाने के उपरान्त भी महाविद्यालयों ने निरीक्षण नहीं करवाये। केवल एक बी.एड. महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण करवाया गया।	निजी बी.एड. महाविद्यालयों को उनके अनुसार रियायत दी जा चुकी है, फिर भी उन्होंने मूल दस्तावेज जमा नहीं करवाये हैं, तो उनकी सम्बद्धता निरस्त की जाती है।" तत्पश्चात सभी माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जिला सीकर एवं झुन्झुनू में अवस्थित बी.एड. महाविद्यालयों को सत्र 2016–17 की अस्थाई संबद्धता हेतु स्टॉफ के मूल दस्तावेज जिन महाविद्यालयों ने जमा करवाये हैं, केवल उन्हीं महाविद्यालयों की परीक्षा करवाने की अनुशंषा की गई तथा साथ ही जिन महाविद्यालयों ने स्टॉफ के मूल दस्तावेज नहीं जमा करवाये हैं, उनकी सम्बद्धता गत बैठक दिनांक 15.07.2016 की बैठक के एजेण्डा बिन्दु 06 के निर्णयानुसार निरस्त की जाती है।
25.	इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जिला सीकर एवं झुन्झुनू में अवस्थित अकादमिक महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने पर चर्चा/निर्णय।	विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र जिला सीकर एवं झुन्झुनू में अवस्थित अकादमिक महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
26.	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.12.15,23.02.16 एवं 12.03.16 के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. चार वर्षीय इन्टिग्रेटेड कोर्स बी.एड.–एम.एड तीन वर्षीय इन्टिग्रेटेड कोर्स, बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. कोर्स इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालन का अनुमोदन हेतु चर्चा/निर्णय।	यह बिन्दु विद्या परिषद् से अनुमोदन करवाकर प्रबंध मण्डल में प्रस्तुत किया जावे। इसलिए इस बिन्दु को अगली बैठक के लिए डैफर किया गया।
27.	इस विश्वविद्यालय में सम्बद्धता सम्बन्धित आवश्यक/आकस्मिक कार्य निपटाये जाने हेतु बी.ओ.आई. सब कमेटी का गठन किया जाकर कुलसचिव, प्रभारी सम्बद्धता एव बी.ओ.आई. सदस्य मनोनीत किये गये के अनुमोदन पर चर्चा/निर्णय।	मा. कुलपति महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि इमरजेन्सी मामलों के निपटारे के लिए कई बार आकस्मिक बैठक बुलायी जाती है, अतः इस सब कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव है। जिस पर सदन द्वारा बी.ओ.आई सब कमेटी बनाने की अनुशंषा की तथा यह निर्णय लिया कि बाद में सब कमेटी द्वारा लिये गये निर्णयों का निरीक्षण

		मण्डल की बैठक में अनुमोदन करवा लिया जावे।
28.	इस विश्वविद्यालय में गठित बोर्ड आफ इन्सपेक्शन की आयोजित बैठकों का अनुमोदन पर चर्चा/निर्णय।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
29.	इस विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017–18 हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप निर्धारित सम्बद्धता शुल्क/निरीक्षण प्रपत्र प्रारूप के अनुमोदन पर चर्चा/निर्णय।	विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017–18 हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप निरीक्षण प्रपत्र प्रारूप हिन्दी भाषा में होने के साथ सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
30.	महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय को सत्र 2016–17 में सम्बद्धता हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा कराये गया था। राज्य सरकार की एन.ओ.सी. के अभाव/निरीक्षण दल/बी.ओ.आई. द्वारा अनुशंषा नहीं किये जाने के कारण सम्बद्धता जारी नहीं की गई । जिन महाविद्यालयों का निरीक्षण करवा लिया गया है या निरीक्षण नहीं करवाया गया को सम्बद्धता शुल्क उनकी मांग पर वापिस (Refund) किये जाने पर चर्चा/निर्णय।	जिन महाविद्यालयों का निरीक्षण नहीं हुआ है, उन महाविद्यालयों के द्वारा जमा करायी गयी राशि का राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार 10 प्रतिशत काटकर संबंधित महाविद्यालय को Refund किये जाने की अनुशंषा की गई तथा जिन महाविद्यालयों का विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण करवा लिया गया है उस स्थिति में राशि देय (Refund) नहीं होगी।
31.	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान के पत्रांक प.14 (30) शिक्षा–4/2012/पार्ट–। दिनांक 25.1.2017 के अनुसार विश्वविद्यालय में जो शैक्षणिक विभाग प्रारम्भ किये जाने की योजना है, उनके प्रस्ताव पदों सहित बनाकर विश्वविद्यालय के संबंधित सक्षम निकायों (विद्या परिषद्, प्रबंध मण्डल आदि) से अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित।	सर्वप्रथम विभाग विद्या–परिषद् से अनुमोदन करवाकर प्रबंध मण्डल की बैठक में रखे जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार को लिखा जाने की अनुशंषा की।
32.	विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक सवंर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा।	माननीय सदस्य डॉ. डी.सी. जैन ने सदन को अवगत करवाया कि रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने तक सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को लेकर विश्वविद्यालयी कार्य त्वरित गति से संपादित करवाया जावे। मा. सदस्य प्रो. सी.बी. गैना ने कहा कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को पंत्र भेजकर सरकारी महाविद्यालयों के

		व्याख्याताओं एवं लिपिकों को विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए लिखा जावे। साथ ही माननीय सदस्य श्री यशपाल सिंह ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए भर्तियों की कार्यवाही प्रारम्भ की जावे जिस पर सदन ने सहमति व्यक्त की। माननीय सदस्य श्री बंशीधर खण्डेला ने विश्वविद्यालय की तरफ से पत्र ले जाकर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से इस कार्यवाही के लिए निवेदन करने की सहमति व्यक्त की।
33.	प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 15.7.2016 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर से मंगवाये गये नक्शों एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीकर द्वारा तैयार किये गये तकमीना का अनुमोदन एवं चारदीवारी के रूके हुए कार्य को पुनः प्रारम्भ किये जाने तथा भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी के चयन किये जाने पर चर्चा।	माननीय सदस्य डॉ. धर्मचन्द जैन ने सदन को अवगत करवाया कि आर्किटेक्ट की मदद लेकर प्लान बनवा लें। रूडसीको से तकमीना बनवा लिया जावे तथा बिल्डिंग कमेटी (जिसमें एक तकनीकी अधिकारी, एक Academician, एक सरकारी अभियांत्रिकी या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के सिविल विभाग का प्रोफेसर हो) बनवाकर नक्शा अनुमोदन करवाकर प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की।
34.	शिक्षा विषय के डीन को वरिष्ठता के आधार पर बदलने पर चर्चा एवं निर्णय।	शिक्षा विषय के डीन के संबंध में सदन द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार डीन नियुक्त करने की प्रक्रिया सम्पन्न करने की अनुशंषा की गई।
35.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु– (i.) उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर राजस्थान के आदेश क्रमांक प. 14(5)शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 07.02.2017 के द्वारा श्री रामावतार जाट (सेवानिवृत व्याख्याता) को उपकुलसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।	(i.) सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा माननीय सदस्य डॉ. धर्मचन्द जैन ने सदन को सुझाव दिया कि अगर और भी कोई सेवानिवृत योग्य कार्मिक विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए इच्छुक हो, तो माननीय कुलपति महोदय अपने स्तर पर इनको संविदा पर नियुक्ति दे सकते हैं। जिस पर सदन ने अपनी सहमति व्यक्त की।

28

	(ii.)सत्र 2017–18 के लिए बी.एड., एम.एड. महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाये जाने पर चर्चा	(ii.)माननीय सदस्य प्रो. सी.बी. गैना, डॉ. धर्म चन्द जैन एवं डॉ. दिलसुख थालौड़ ने सुझाव दिया कि सत्र 2017–18 के लिए बी.एड., एम.एड. महाविद्यालयों का निरीक्षण करवाया जावे तथा महाविद्यालयों के स्टाफ के मूल दस्तावेज निरीक्षण के समय ही जांच कर लिये जावे। जिस पर सदन के सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की तथा अतिशीघ्र निरीक्षण करवाने के निर्देश दिये गये।
	(iii.) बी.एड. महाविद्यालयों के निरीक्षण दल के गठन पर चर्चा।	(iii.) बी.एड. महाविद्यालयों के निरीक्षण दल के 03 सदस्यों में से 01 सदस्य राजकीय बी.एड. महाविद्यालय से उपलब्धता के आधार पर हो तो प्राथमिकता दी जावे। राजकीय बी.एड. महाविद्यालय का व्याख्याता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समस्त 03 सदस्य अकादमिक राजकीय महाविद्यालय से लेने की अनुशंषा की गई।
	(iv.) OSD to VC लगवाने का अनुमोदन	(iv.) सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	(v.)प्रबंध मण्डल की बैठक का निर्धारण	(v.)मा. सदस्य डॉ. धर्मचन्द जैन एवं श्री सी. बी. गैना ने सदस्यों का सुझाव दिया कि भविष्य में प्रबंध मण्डल की बैठक प्रत्येक 03 माह में एक बार संपन्न हो तथा साथ ही बैठक का समय प्रातः 11:00 बजे रखा जावे। जिस पर सदन ने सहमति व्यक्त की।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव